संख्या–111/XXXVI(1)/2010–31एक(6)/2004

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2011

विषय– **महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड नैनीताल के कर्मचारियों को दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षित विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–58–एक (6)/छत्तीस(1)/न्या अनु0/2005 दिनांकः 23–09–2005 एवं आपके पत्र संख्याः169/अधि/संशो.–वि.भ./2010 दिनांकः 01–06–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के नियमानुसार नियुक्त कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे विशेष भत्तों को दिनांकः01–01–2006 से पुनरीक्षित किए गए वेतनमानों में सुसंगत ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिनांकः1–4–2009 से पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3– उक्त मदों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 1–4–2009 से 31–01–2011 तक के एरियर की समस्त धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेंगी और जो कर्मचारी उक्त निधि के सदस्य नहीं है उन्हें उक्त एरियर का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जायेगा। जो कर्मचारी इस बीच सेवा निवृत्त हो चुके है या सेवा छोड़ चुके हो उन्हें एरियर की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:4366/XXVII(3)/2011 दिनांक:23 मार्च, 2011 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–111(1)/XXXVI(1)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/एन.आई.सी., देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव